न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 604 / 2022

अनवान :–

1. रणवीर कुमार पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. मन्जू पुत्री इन्द्राज जाति मेघवालं निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. ममता पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. कृष्णा उर्फ किरणा पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 5/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 35 / 31 की कुल 5.5410है0 भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 प्रत्येंक के 1731 / 55400 हिस्सा व प्रतिवादी 1 के 433 / 13850 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी की माता अनकोरी के नाम दर्ज थी तथा वादी की माता अनकोरी के स्वर्गवास हो चुका है। वादी की माता के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया स0 1 ता 3 जो वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई / वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग उक्त भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है एवं उक्त भूमि में वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीयागण को कोई एतराज नही है तथा वादी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पक्का सहारणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वादी रणवीर की बहिन किरणा व कृष्णा एक ही महिला के नाम पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीयागण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी की माता अनकोरी के नाम दर्ज थी तथा वादी की माता अनकोरी के स्वर्गवास हो चुका है। वादी की माता के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया स0 1 ता 3 जो वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई/वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग उक्त भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है एवं उक्त भूमि में वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 35/31 की कुल 5.5410है0 भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 प्रत्येंक के 1731/55400 हिस्सा व प्रतिवादी 1 के 433/13850 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा अनकोरी पत्नी ईन्द्राज के अन्य कोई [illegible] नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा वाद की [illegible] हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़).

करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 35/31 की कुल 5.5410है0 भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 प्रत्येंक के 1731/55400 हिस्सा व प्रतिवादी 1 के 433/13850 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी रणवीर कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रणवीर के स्थान पर रणवीर कुमार दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 4/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 604/2022

अनवान :–

1. रणवीर कुमार पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. मन्जू पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. ममता पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. कृष्णा उर्फ किरणा पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 604 सन 2022 निर्णय दिनांक......4/4/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादीगण श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष ड़िक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 35/31 की कुल 5.5410है0 भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 प्रत्येंक के 1731/55400 हिस्सा व प्रतिवादी 1 के 433/13850 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी रणवीर कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रणवीर के स्थान पर रणवीर कुमार दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:56:03 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर